भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1661
10.03.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन

1661. श्री अनिल यशवंत देसाई :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित ब्यौरा क्या है;
(ख) देश के विभिन्न भागों में वन्यजीवों या हरित आवरण को जोखिम में डालने वाले पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन को रोकने के लिए उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे उल्लंघनों में अपने कार्यों या निष्क्रियताओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या राज्य प्राधिकरणों के विरुद्ध भी स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या विगत समय में उनके विरुद्ध कोई निदर्शनात्मक दंड आदि लगाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की स्थापना वर्ष 2010 में एनजीटी अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरणीय सुरक्षा और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन और व्यक्तियों तथा संपत्तियों को हुए नुकसान और उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए राहत और मुआवजा देना शामिल है। एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 14 और धारा 16 में एनजीटी के मूल अधिकार क्षेत्र और अपीलीय अधिकार क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है।

(ख) से (घ): केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर पर्याप्त कानूनी एवं विनियामक ढांचे तैयार किए हैं, जो पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रबंधन को विनियमित करते हैं। वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित प्रमुख केंद्रीय स्तर की नीति एवं

विधानों में राष्ट्रीय वन नीति, 1988, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, तथा जैव विविधता अधिनियम, 2002 आदि शामिल हैं। वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्य जीवों के संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रबंधन का प्रावधान करता है। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, एनजीटी द्वारा व्यक्तियों या प्राधिकरणों के विरूद्ध स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की जाती है। इस संबंध में, एनजीटी के आदेश/निदेश/निर्णय के उल्लंघन को एनजीटी अधिनियम की धारा 26 के तहत दंडनीय बनाया गया है, जिसमें उल्लंघनकर्ता को तीन वर्ष तक के कारावास, या दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने, या दोनों, और अनुपालन की विफलता या उल्लंघन जारी रहने के मामले में दोषसिद्धि के बाद ऐसी पहली विफलता या उल्लंघन हेतु प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी विफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पच्चीस हजार रूपए तक के अतिरिक्त जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

*****